कार्यालय नजारत अनुभाग, दीवानी न्यायालय, मुजफ्फरनगर।

दिनांकः 01 जून 2020

—: सूचना नीलाम बाबत ठेकेजारत :—

सर्व साधारण को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ठेकेजात का नीलाम वास्ते वर्ष 2020—2021 दीवानी न्यायालय, मुजफ्फरनगर में दिनांक 08 जून 2020 को समय सायं 3.00 बजे से न्यायालय परिसर, मुजफ्फरनगर स्थित केन्द्रीय हॉल में नियमानुसार किया जायेगा।

1— बोली कर्ता द्वारा कैन्टीन के ठेके के लिए अंकन 50,000/—रूपये, फोटोस्टेट मशीन दुकान के ठेके के लिए अंकन 20,000/—रूपये, कैन्टीन (न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय परिसर) के ठेके के लिए अंकन 50,000/—रूपये तथा चाट की दुकान (न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय परिसर) के ठेके के लिए अंकन 10,000/—रूपये बोलीदाता को नकद बोली देने से पहले प्रतिभूति धनराशि के रूप में जमा करनी होगी, जिसे वह बोली अस्वीकार होने पर तत्काल वापिस पाने का हकदार होगा तथा बोली स्वीकृत होने की अवस्था में उक्त जमानत राशि स्वीकृति वाली राशि में समायोजित की जायेगी।

2— जिस व्यक्ति की बोली ठेके के सम्बन्ध में स्वीकार की जायेगी, उसे स्वीकृत बोली की 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी।

3— बोली बोलने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा अपने स्थायी निवास प्रमाण—पत्र, फोटो पहचान पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति कार्यालय में जमा करनी होगी। शेष नीलामी की शर्ते कार्यालय नजारत अनुभाग, दीवानी न्यायालय, मुजफ्फरनगर में किसी भी कार्य दिवस में समय 10 बजे से सायं 5 बजे तक देखी जा सकती है।

बोली बोलने के इच्छुक व्यक्ति नियत दिनांक व समय पर उपस्थित होकर बोली बोल सकते है।

1— ठेका मुख्य न्यायालय परिसर से बाहर पक्की कैन्टीन/हलवाई, मुजफ्फरनगर।

मुख्य न्यायालय परिसर, मुजफ्फरनगर।

2— ठेका अस्थाई फोटो स्टेट मशीन

न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय परिसर, मुजफ्फरनगर।

3— ठेका अस्थाई कैन्टीन/हलवाई

4— ठेका अस्थाई चाट की दुकान

01.06.2020	01.06.2020	1-6-2020
(बलराज सिंह)	(पूनम राजपूत)	(पंकज कुमार अग्रवाल)
अपर जिला जज,	अपर जिला जज,	अपर जिला जज,
न्यायालय संख्या—10,	न्यायालय सं0—7	न्यायालय संख्या—1,
मुजफ्फरनगर।	मुजफ्फरनगर।	मुजफ्फरनगर।
(सदस्य)	**(सदस्य)**	**(अध्यक्ष)**

समिति, ठेका नीलाम, जजशिप, मुजफ्फरनगर

प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयों/स्थानों पर नोटिस बोर्ड पर विधिवत चस्पा की जाये।

1— जिला जजी, मुजफ्फरनगर।

2— कलैक्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।

3— जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर, रोडवेज— मुजफ्फरनगर, रेवले स्टेशन— मुजफ्फरनगर तथा नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर।

4— उक्त विज्ञप्ति को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, मुजफ्फरनगर की वेब साईट पर अपलोड किया जाये।

5— प्रतिलिपि जिला सूचना अधिकारी, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराये जाने के उपरांत समाचार पत्रों की प्रति कार्यालय नजारत अनुभाग, दीवानी न्यायालय, मुजफ्फरनगर को उपलब्ध करायें।